



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12428/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
भागीरथ प्रसाद मीणा ग्राम सामोर पीएस आंधी जयपुर ग्रामीण,, Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28/03/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री धर्मेन्द्र कुमार, हैड कानि. उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05-10-2016 के द्वारा प्रकरण संख्या 1/13, एफआईआर नं. 54/2011 पुलिस थाना आँधी के मृतक नानक राम पुत्र नन्दकिशोर मीणा के पुलिस सत्यापन के संबंध में 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 24-03-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि वांछित सूचना जिला विशेष शाखा से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) के तहत जिला विशेष शाखा सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका विनिश्चय अपीलार्थी को पत्र दिनांक 28-10-2016 से प्रेषित किया जा चुका था। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 24-03-2017 से खारिज की गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ में पत्र दिनांक 28-10-2016 की प्रति संलग्न की है। प्रथम अपील का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी वस्तुस्थिति से संसूचित है। वैसे भी वांछित सूचना में विशिष्टी का अभाव है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त

